

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान अपेक्षित कोर आदि बनाम विजयपाल सिन्हा आदि

प्रकरण संख्या 30 / 2024 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एव जो इस पालना में
--------	-----------------------------------	--------------------------------

28/01/25
अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 25(A) RTA का निस्तारण हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निवेदना दिनांक 25/04/2024 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली गिण्टी होकर नम्बर से कम होकर दाखिल पत्र हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

